विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
3- (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश सरकार विभिन्न विद्युत उत्पादन कम्पनियों से किस दर पर बिजली क्रय करती है तथा प्रदेशवासियों को किस दर पर बिजली विक्रय करती है?	प्रदेश में सप्लाई होने वाली विद्युत की क्रय के दर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के सांविधिक अंकेक्षित लेखों के अनुसार ऊर्जा की प्रति यूनिट दर लगभग रू0 4.55 आगणित होती है। मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 20.07.2022 में निहित श्रेणीवार विद्युत दरों के अनुसार ऊर्जा कम्पनियाँ प्रदेशवासियों को बिजली विक्रय करती है। वर्तमान में मा0 नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित औसत विद्युत आपूर्ति दर रू0 7.53 प्रति यूनिट है जिसमें विद्युत क्रय दर के उपरांत पारेषण, परिचालन एवं अनुरक्षण, देय ब्याज आदि खर्चे सम्मिलित किये जाते है।
(ख) बिजली खरीदने व बेचने के बीच में विद्युत विभाग द्वारा लिये जा रहे लाभ को देखते हुए क्या विद्युत दर घटाने पर अथवा 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क दिये जाने पर विचार करेंगे?	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाईफ लाइन उपभोक्ताओं (ऐसे उपभोक्ताओं जिनका विद्युत भार 1 कि0वा0 से कम है तथा खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से कम है) को यू0पी0पी0सी0एल0 की औसत आपूर्ति लागत (ए0सी0ओ0एस0) से 50 प्रतिशत कम दर से बिजली दी जा रही है।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

ए० के० शर्मा
ऊर्जा मंत्री।